## बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग —::संकल्प::—

श्री बद्री प्रसाद साह, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किटहार के विरुद्ध C.W.J.C No.—2281/2006 श्री राम इकबाल सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ससमय संज्ञान नहीं लेने, वरीय पदाधिकारियों के निदेश का उल्लंधन करने एवं कार्य के प्रति उदासीनता बरतने का दोषी पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए श्री साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका 14 के प्रावधान अनुरूप विभागीय अधिसूचना सं0—1424 सह—पठित ज्ञापांक—1425 दिनांक 12.04.2013 द्वारा लधु दंड के रूप में निंदन एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शारित अधिरोपित की गयी।

2. श्री साह द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-8524/2014 बद्री प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 03.11.2017 को पारित न्यायादेश में रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया।

3. श्री साह द्वारा उक्त न्यायादेश दिनांक 03.11.2017 के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में LPA No-1683/2017 बद्री प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त LPA में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 26.06.2025 के आलोक में श्री साह द्वारा विभाग को आवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उक्त न्यायादेश में LPA को Allow किये जाने के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया। LPA No-1683/2017 बद्री प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 26.06.2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:—

....Reading of the disciplinary authority's order insofar as imposition of penalty, it is crystal clear that there is no application of mind and the very object of issuance of show cause appellant's explanation for imposition of minor penalty is defeated in not considering the mandatory on the part of the disciplinary authority to analyse charge memo read with the explanation of the appellant, the same is not reflected in impugned penalty order. The disciplinary authority is exercising quasi-judicial functions under CCA Rules 2005. and appellant has further remedy and the same would not be effective in the absence of non-speaking order. The Hon'ble Supreme Court in the case of Oryx Fisheries Private Ltd. vs. Union of India authority to consider the issues. This judgment is aptly applicable to the case in hand, the with the order of the learned Single Judge dated 03.11.2017 passed in CWJC No. 8524 of 2014, they are set aside.

5. Accordingly, LPA No. 1683 of 2017 stands allowed. Pending I.A(s) if any, stands disposed of.

4. संदर्भित वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 8524/ 2014 बद्री प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 03.11.2017 को पारित न्यायादेश को set aside करते हुए श्री साह को संसूचित दण्ड अधिसूचना सं0—1424 सह—पठित ज्ञापांक 1425 दिनांक 12.04.2013 को Non-Speaking order माना गया।

5. उक्त के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा वाद LPA No-1683/2017 बद्री प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 26.06.2025 को पारित न्यायादेश का विभाग द्वारा अनुपालन किया जाय अथवा इसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में S.L.P दायर किया जाय, के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार पटना का परामर्श प्राप्त किया गया।

विधि विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया है :--

In Context of order of Division bench dt 26.06.2025 in LPA 1683/2017, I have examined order of punishment inflited on petitioner, as contained in Memo Dt. 12.04.2013 on bare perusal of the oder it is evident that it reflect complete non application of mind. it is only said that explanation furnished by the petition is not satisfactory, it does not even speak of, what is the explanation in defence to the charge, why it is found not satisfactory. This is not the manner and method to reject the defene. Any order imposing penality is required to be speaking and would be clear as regards ground on the basis of which defence has been rejected, Mercely saying that explanation is not satisfactory would not sustain order of puni shment Hence, I do not find any error in the order of Division Bench to advise filing of SLP. order of Division Bench, therefore needs to be complied forth with.

उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0—1424 सहपठित ज्ञापांक—1425 दिनांक— 12.04.2013 द्वारा श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार को संसूचित दण्डादेश को निरस्त करते हुए सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का आदेश

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिया गया है।

अतः विभागीय अधिसूचना स0—1424 सहपठित ज्ञापांक—1425 दिनांक—12.04.2013 द्वारा श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध लघु दंड के रूप में निन्दन एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति को निरस्त किया जाता है एवं सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का आदेश दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-471/2012/0536 /पटना, दिनांक:- 7·/*10*·2-5^ प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

06/10/25

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-471/2012 1059 / पटना, दिनांक:- ७-१०-२५ प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

06/10/4

संयक्त सचिव

ज्ञापांकः—3/अ०प्र०—1—471/2012 10536 /पटना/दिनांकः— ७०/००२५ प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/निगरानी विभाग/जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/10/2

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—471/2012 /0536 /पटना/दिनांकः— ७,१/०,४५ प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किटहार/प्रशाखा पदाधिकारी—6/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किटहार, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल दानापुर, पत्रचार का पता—प्रलैट नं0—302, अरिप्रिया अपार्टमेंट, डाकघर—राजेन्द्रनगर, थाना—कदमकुआँ, जिला—पटना, पिनकोड—800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव